Appendix-'E'
(Bye-Laws No. 7.1)
FORM FOR SANCTION OR REFUSAL OF BUILDING / DEVELOPMENT PERMIT

Lt no. 1699 Dt. 1-6-15

Form :

The Executive Officer,
Jhumri Telaiya, Nagar Parshad.

To,
मेमर्स माँ दुर्गा डेवलपर्स
पार्टनर - प्रवीण कुमार सुखानी
वार्डन: 8/17 झुमरी तिलैया

Sir,

With reference to your application 20/15-16 dated .....for grant of license for the erection, re-erection / making alteration or development of land in Khesra No.....8.....on RS Plot No. 679, 39/679 ....Block No. ..... situated in colony / street .....Mohalla / bazaar / Road ...झुमरी तिलैया..... City No. ..... I have to inform you that sanction has been granted / refused by the JNP on the following grounds.

1. नक्शा पर अंकित मुहर के कंडिका 1,3,5,6,7 के आलोक में निर्माण कार्य कराया जायगा।
2. मकान / चहारदिवारी के आगे पिछे एवं दोनो बगल स्वीकृत नक्शा में अंकित जगह छोडना अनिवार्य होगा।
3. निर्माण नक्शा के अनुसार करना अनिवार्य होगा।
4. नक्शे कि स्वीकृति अवधि तीन वर्षो की होगी।
5. Water Harvesting हेतु अपनी जमीन में Recharge Pit निर्माण करना अनिवार्य होगा।
6. Drainage व्यवस्था हेतु अपनी जमीन में Soak Pit का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. श्रम अधीक्षक रोहतास के पत्रांक 39 पदि. 9.5.15 की प्रति संलग्न करते हुए निदेशित है कि श्रम सेस की राशि जमा करेंगे अन्यथा आपकी निजी जवाब देही होगी।

01-06-15
Executive Officer
Jhumri Telaiya, Nagar Parshad.
Name, Designation and
Address of the Authority

अनुलग्नक :- स्वीकृत नक्शा

Office Stamp.
Office (Communation)
No. .....
Date .....